न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 82/2013
आरसीएमएस नं0 2013/00235
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

दलीप कुमार पुत्र जगमाल जाति जाट सा0 गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
–अपीलाण्ट

बनाम

रविन्द्र कुमार पुत्र दलीपकुमार जाति जाट सा0 30 आरडब्ल्यूडी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.07.2013
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
प्रकरण संख्या 11/2013 बअनवानी रविन्द्र कुमार बनाम दलीप कुमार
उपस्थित
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अशोक बेनीववाल अधिवक्ता रेस्पाडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः– 7.7.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें चक नंबर 30 आरडब्ल्यूडी पटवार क्षेत्र गंधेली तहसील रावतसर कुल 21.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

045 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त व गांव गंधेली बारानी पटवार क्षेत्र लालपुरा तहसील रावतसर में अप्रार्थी सं0 दलीप कुमार के नाम कुल 4.098 है0 व चक देईदासपुरा तहसील नोहर में भूपसिंह, कालूराम दलीप कुमार, महेन्द्र पि0 मु0 हेतराम बहिस्सा बराबर .455 है0 में 1/4 हिस्सा है। यह भूमि पैतृक सम्पति है। एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आराजी है। अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन बेय व मुन्तकिल कर खुर्द बुर्द कर सकता है। इसलिए उसके विरूद्ध प्रश्नगत भूमि का बंटवारा होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि सायल उक्त भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नहीं है। चक 30 आरडब्ल्यूडी में 126 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी सिसमें जगमाल का 1/2 हिस्सा था उक्त भूमि का खाता तकसीम होने पर जगमाल यानि गैरसायल के पिता का हिस्सा 83.03 बीघा भूमि आई तथा बाद वफात जगमाल के उक्त्त भूमि उसके चारों पुत्रों उसकी पत्नी व उसकी पुत्रियों के नाम ब.हि.ब दर्ज हुई। इस प्रकार मुझ गैरसालय को जगमाल से 10.08 बीघाभूमि प्राप्त हुई। उक्त चक की शेष भूमि गैरसायल को उसकी माता व बहिनों से प्राप्त हुई है। चक गन्धेली बारानी व चक देईदासपुरा की भूमि मुझ गेरसायल की खरीदशुदा व स्वयं अर्जित भूमि है जिसमें गैरसायल के जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति का कोई भी हक हिस्सा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक नं. 30 आरडब्ल्यूडी की भूमि ही अप्रार्थी को 10.08 बीघा भूमि दादालाई प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता हे। शेषभूमि अप्रार्थी स्वयं की खरीदशुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के नाम दर्ज समस्त भूमि का विधिक प्रावधानों के विपरीत स्थगन जारी कर एक अभिलिखित खातेदार को प्रश्नगत भूमि का स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग करने से वंचित करने से संबंधित आदेश पारित किया है। चक 30 आरडब्ल्यूडी में कुल 126 बीघाभूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 83 बीघा 4 बिस्वा भूमि था जगमाल के फोत होने के बाद उसके चारों पुत्र व उसकी पुत्रियां व पत्नी को प्रश्नगत भूमि में ब0हि0ब0 का हक हिस्सा अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में दर्ज होने से अपीलाण्ट को स्व0 जगमाल से विरास्तन प्राप्त न होकर अपनी माता व बहिनों से रजिस्टर्ड दस्तावेज से प्राप्त हुई है, जो दस्तावेज से साबित है। ऐसी स्थिति में चक 30 आरडब्ल्यू डी की 10 बीघा 8 बिस्वाभूमि के अलावा शेष भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित भूमि होने के कारण अपीलाण्ट के जीवनकाल में किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति होने के कारण अपीलाण्ट का उसमें हक व हिस्सा है। प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन है। संयुक्त परिवार की भूमि की आय से खरीद की गई भूमि में रेस्पोडेण्ट का हक हिस्सा है। अपीलाण्ट राजस्व रिकार्ड में अपने नाम के अंकन का फायदा उठाकर इस भूमि को रहन बैय करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो रेस्पोडेण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के अनुसार के अनुसार अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के नाम चक 30 आरडब्ल्यूडी की कुल 21.045 है0 भूमि रेस्पेडेण्ट अपीलाण्ट एवं उसके भाईयों के नाम दर्ज है जिसमें दलीप कुमार का 1/3 भाग का हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। जा`प्रार्थी के दादा जगमाल से प्राप्त होनी पाई गई है। शेष भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि होना प्रथम दृष्टया साबित है। अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि परिवार की संयुक्त आय से खरीद की हुई है या या नहीं बाबत निर्धारण मूल दावा में तय होना है। चक 30 आरडब्ल्यूडी की भूमि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के दादा की पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेण्ट का पैदायशी हक एवं अधिकार अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा की भूमि तक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी के 1/2 हिस्सा तक भूमि को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.7.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/7/22

(करतार सिंह पुनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़